

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 276/2026

Prasan Hans Alias Pinnsa S/o Mehban Hans, Aged About 50
Years, R/o 429-30, Kamla Nagar, Hudko Quarter, P.s Patapnagar,
Jodhpur. (Lodged In Central Jail, Jodhpur)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. J.S. Choudhary, Sr. Adv. Mr. Pradeep Choudhary
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP
For Complainant	:	Mr. Ram Pal
Present in Person	:	Mr. Baburam, ASI, P.S. Udaimandir, District Jodhpur

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Order

26/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत
आवेदन पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत
पुलिस थाना उदय मन्दिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट
संख्या 240/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3),
340(2) व 61(2) भारतीय न्याय संहिता के संबंध में पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त
को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए
गए आरोप धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2) व सपठित धारा 61(2)
भारतीय न्याय संहिता के दंडनीय आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ
लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ इस मुकदमे के अतिरिक्त दो अन्य मुकदमे पंजीबद्ध होना भी पाया गया है, जिसमें से एक मुकदमे में प्रार्थी/अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त 50 वर्षीय व्यक्ति है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तर्कों के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध किया तथा व्यक्त किया कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ आरोप है कि उसने पवनराज भंडारी का कूटरचित मुख्तारनामा बनाकर परिवादी के पक्ष में वादग्रस्त संपत्ति का धोखे से बेचान किया है। अपराध की प्रकृति गंभीर है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया जावे। कार्यालय के आदेश दिनांक 23.02.2026 की पालना में अनुसंधान अधिकारी आज न्यायालय में उपस्थित हुए।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए समस्त आरोप प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13.12.2025 को गिरफ्तार किया गया था, तब से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षात्मक अवधि, अन्वीक्षा में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये

बिना हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रसन हंस उर्फ पिन्नसा पुत्र मेहबान हंस** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2025 पुलिस थाना उदय मन्दिर, जिला जोधपुर सिटी पूर्व** में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उपस्थिति हेतु **1,00,000/- (अक्षरे एक लाख रूपए मात्र)** का एक व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा **50,000-50,000/- (अक्षरे पचास-पचास हजार रूपए मात्र)** की तस्दीकशुदा दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करा देवे तथा अभियुक्त की किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो हस्तगत प्रकरण में उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे। प्रार्थी/अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथियों पर व जब भी उसे बुलाया जावे, न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

(ASHUTOSH KUMAR),J